भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1945

जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण के संबंध में मॉडल विधेयक

1945. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को जल संरक्षण और बाढ़ क्षेत्र जोनिंग के संबंध में मॉडल विधेयक परिचालित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कानून अधिनियमित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और शेष राज्यों के संबंध में विधेयक की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और सभी राज्यों द्वारा उक्त दोनों मुद्दों पर कब तक कानून अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): भारत सरकार ने विकास के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग दृष्टिकोण कार्यान्वित करने के लिए प्रगतिमय कार्रवाई करने की आवश्यकता हेतु राज्यों पर लगातार जोर दिया है। वर्ष 1975 में केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को फ्लड प्लेन जोनिंग विधान के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट बिल परिचालित किया गया था। अब तक, इसे लेकर मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्यों ने कानून बनाया है। हालांकि, उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी राज्य ने आज तक फ्लड प्लेन के सीमांकन के लिए कदम नहीं उठाए हैं। एनजीटी के आदेश 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4 सितंबर, 2020 के कार्यकारी आदेश के तहत पच्चीस वर्षों में एक बार हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी पर फ्लड प्लेन की पहचान और सीमांकन के लिए अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकारों को विशेष रूप से 'जल संरक्षण संबंधी मॉडल बिल' के परिचालन के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के संरक्षण, सुरक्षा, विनियमन और प्रबंधन के लिए मॉडल बिल 2016' परिचालित किया है ताकि वे इसके विकसित विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल विधान को अधिनियमित कर सकें जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

*****